



पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
विद्युत नगर, मिखारीपुर, पो-डी०रे०का०
वाराणसी-221004

E-MAIL-audit@puvvn.in

CIN:- U31200UP2003SGC027461

पत्रांक - 504 / पू०वि०वि०नि०लि०(वा०) / जनसूचना

दिनांक:- 04/08/2025


Sh. Yogi M P Singh,
Address: Mohalla-Surekapuram,
Jabalpur Road, Pin: 231001,
Email: yogimpsingh@gmail.com

विषय : Sh. Yogi M P Singh को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत मॉगी गई सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक अपने अपीलीय पत्र (Appeal Registration No. PUVNL/A/2025/60230) दिनांक 22.07.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अधीन बिन्दुवार सूचना प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में उप महाप्रबन्धक (लेखा), पू०वि०वि०नि०लि०, डिस्कॉम मुख्यालय, वाराणसी ने स्व पत्रांक 61 / पू०वि०वि०नि०लि०(वा०) / सी०पी०ओ० / बजट दिनांक 01.08.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा बिन्दुवार सूचना उपलब्ध करायी है जिसकी प्रति आपको सूचनार्थ प्रेषित है।


संलग्नक:- यथोपरि।


अजय किशोर
लेखाधिकारी (जनसूचना)

पत्रांक - / पू०वि०वि०नि०लि०(वा०) / जनसूचना तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. जनसूचना अधिकारी, डिस्कॉम मुख्यालय, पू०वि०वि०नि०लि०, वाराणसी।
2. उप महाप्रबन्धक (लेखा), डिस्कॉम मुख्यालय, पू०वि०वि०नि०लि०, वाराणसी।


अजय किशोर
लेखाधिकारी (जनसूचना)



पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
विद्युत नगर, मिखारीपुर, पो-डी०रे०का०
वाराणसी-221004

CIN:- U31200UP2003SGC027461

E-MAIL-audit@puvnl.in

पत्रांक - /पू०वि०वि०नि०लि०(वा०)/जनसूचना

दिनांक:- 04 / 08 / 2025

Sh. Yogi M P Singh,

Address: Mohalla-Surekapuram,

Jabalpur Road, Pin: 231001,

Email: vogimpsingh@gmail.com

विषय : Sh. Yogi M P Singh को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत माँगी गई सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक अपने अपीलीय पत्र (Appeal Registration No. PUVNL/A/2025/60230) दिनांक 22.07.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अधीन बिन्दुवार सूचना प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में उप महाप्रबन्धक (लेखा), पू०वि०वि०नि०लि०, डिस्कॉम मुख्यालय, वाराणसी ने स्व पत्रांक 61/पू०वि०वि०नि०लि०(वा०)/सी०पी०ओ०/बजट दिनांक 01.08.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा बिन्दुवार सूचना उपलब्ध करायी है जिसकी प्रति आपको सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक:- यथोपरि।

अजय किशोर
लेखाधिकारी (जनसूचना)

पत्रांक - 504 /पू०वि०वि०नि०लि०(वा०)/जनसूचना तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. जनसूचना अधिकारी, डिस्कॉम मुख्यालय, पू०वि०वि०नि०लि०, वाराणसी।
2. उप महाप्रबन्धक (लेखा), डिस्कॉम मुख्यालय, पू०वि०वि०नि०लि०, वाराणसी।

अजय किशोर
लेखाधिकारी (जनसूचना)



CIN:- U31200UP2003SGC027461
GST:- 09AADCP4092M5ZT

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

विद्युत नगर, मिखारीपुर, पो-डी०रे०का०
वाराणसी-221004

पत्रांक - 61 / पू०वि०वि०नि०लि०(वा०) / सी०पी०ओ०

दिनांक : 01-08-2025

विषय- Sh. Yogi M P Singh को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत मांगी गई सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

लेखाधिकारी (जनसूचना)
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०,
वाराणसी।

उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक सं० 495 / पू०वि०वि०नि०लि०(वा०) / जनसूचना दिनांक 30.07.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से आप द्वारा मांगी जा रही बिन्दुवार सूचना के संबंध में आख्या निम्नवत् है:-

1. बिन्दू सं० 01 एवं 02 के संबंध में आपको अवगत कराना है कि संबंधित फसल क्षतिपूर्ति से संबंधित दोनों मांग पत्रों के सापेक्ष भुगतान हेतु दिनांक 29.04.2025 को खण्ड द्वारा बीजक ई०आर०पी० प्रणाली पर पारित किया गया था, जिसे क्षतिपूर्ति भुगतान की प्रक्रिया के तहत सर्वप्रथम बीजक के सत्यापन हेतु निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०) को प्रेषित किया जाता है, जिनके सत्यापन के पश्चात् उक्त क्षतिपूर्ति प्रकरणों को संकलित कर धनराशि की मांग मुख्यालय, लखनऊ को प्रेषित किया जाता है तथा मुख्यालय लखनऊ से धन प्राप्ति के पश्चात् संबंधित को भुगतान किया जाता है।
2. बिन्दू सं० 03 के संबंध में इस कार्यालय के पत्र सं० 279 दिनांक 07.04.2025 के द्वारा सूचना प्रेषित की जा चुकी है।
3. बिन्दू सं० 04 के संबंध में उपरोक्त क्रमांक 01 में भुगतान की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।
4. बिन्दू सं० 05 के संबंध में आपको अवगत कराना है कि दिनांक 25.03.2025 को ई०आर०पी० प्रणाली पर बजट उपलब्ध कराने के पश्चात् खण्ड द्वारा दिनांक 29.04.2025 को ई०आर०पी० प्रणाली पर बीजक पारित किया गया, जिसके पश्चात् उपरोक्त अंकित प्रक्रिया के तहत दिनांक 15.07.2025 को मुख्यालय, लखनऊ से धन प्राप्ति के उपरान्त दिनांक 22.07.2025 को क्षतिपूर्ति का भुगतान लाभार्थी के खाते में कर दिया गया है।

सूचनार्थ प्रेषित।

(एस.के. मिश्र)

उप महाप्रबन्धक (लेखा)